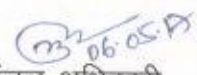


राज्य - लोग - भी नहीं ।

ਅਮਿਨਕਾ ਦਿਨਾਂ 02.12.2016 ਚੋਂ ਲਵੇ।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

अतिक्रमण वाद अभिलेख संख्या 04/2016-17

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
06.05.2017	<u>—आदेश—</u> यह अतिक्रमण वाद राजस्व कर्मचारी, हल्का सं०-III श्री अशफाक अहमद तथा अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के प्रतिवेदन दिनांक-21.10.2016 के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण उपरान्त आरंभ की गई है। अधोहस्ताक्षरी ने स्थल निरीक्षण उपरान्त पाया कि श्री भीम महतो, पिता- स्व० नारायण महतो, साकिन- नर्रा, पो०- नर्रा, थाना- चन्द्रपुरा, जिला- बोकारो के द्वारा दो कमरा बनाकर तथा खलिहान लगाकर सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है। राजस्व कर्मचारी, हल्का सं०- 03, श्री असफाक अहमद ने अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के माध्यम से अतिक्रमण प्रतिवेदन दिया है कि चन्द्रपुरा अंचल अन्तर्गत, मौजा-नर्रा, थाना सं०-88, खाता सं०-130, प्लॉट सं०-297, रकबा-0.12 एकड़ में कमरा तथा खलिहान बनाकर श्री भीम महतो के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अंचल अमीन ने प्रतिवेदन दिया है कि चन्द्रपुरा अंचल अन्तर्गत, मौजा-नर्रा, थाना सं०-88, खाता सं०-130, प्लॉट सं०-297, रकबा-0.12 एकड़ में कमरा तथा खलिहान बनाकर श्री भीम महतो के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, चन्द्रपुरा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमणकारी श्री भीम महतो, पिता-नारायण महतो, साकिन-नर्रा, पो०- नर्रा, थाना-चन्द्रपुरा, जिला- बोकारो को नोटिस निर्गत कर दिनांक-04.03.2017, 18.03.2017, 01.04.2017 एवं 15.04.2017 को पक्ष रखने को कहा गया। लेकिन कई मौका देने के बाद भी वादी ने कोई कागजात या पक्ष पेश नहीं किया। कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमणकारी के द्वारा कोई पक्ष नहीं रखने से उपरोक्त वर्णित भूमि मौजा-नर्रा, थाना सं०-88, खाता सं०-130, प्लॉट सं०-297, रकबा-0.12 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण के आरोप की पुष्टि होती है। अतः मौजा-नर्रा, थाना सं०-88, खाता सं०-130, प्लॉट सं०-297 रकबा-0.12 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु अतिक्रमणकारी श्री भीम महतो, पिता- नारायण महतो, साकिन- नर्रा, पो०- नर्रा, थाना- चन्द्रपुरा, जिला- बोकारो को नोटिस निर्गत करें तथा दिनांक-20.05.2017 तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दें। निर्धारित समय तक यदि अतिक्रमणकारी ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक उनके संरचना को हटा दिया जाएगा तथा हटाने के क्रम में जो भी खर्च आएगा उसे अतिक्रमणकारी से वसूला जाएगा।  अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा।	